मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता। | दुनियां के मजदूरो, एक हो।

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है। | दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 40 | अक्टूबर 1991 | 50 पैसे

शंकर गुहा नियोगी की याद को समर्पित अंक

२८ सितम्बर को छत्तीसगढ माइन्स श्रमिक संघ की धुरी बने शंकर गुहा नियोगी की गोली मार कर हत्या कर दी गई। भिलाई क्षेत्र में मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिये हिसाव-किताब लगा कर घर में सो रहे नियोगी को रात के तीन-चार बजे गोली मरवाई गई। इस हत्या ने 15 साल से नियोगी की गहरी छाप लिये मजदूर आन्दोलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है।

भिलाई क्षेत्र के लिये तो इन पन्द्रह सालों का लेखा-जोखा सर्वोपरि महत्व का है ही, वृहद्तर मजदूर आन्दोलन के लिये भी यह महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लेखे-जोखे की एक मोटा-मोटी कोशिश कर रहे हैं।

भिलाई स्टील प्लान्ट की स्थापना रूस और भारत के पूँजीवादियों के गठजोड़ में एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। लाखों टन स्टील बनाने वाली इस फैक्ट्री में कच्चे माल की खपत भी बिशाल मात्रा में होती है भिलाई से अस्सी-नब्बे किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा में प्रमुख कच्चे माल, लोहा पत्थर की खदानें हैं। इन खदानों में पाँच रुपये रोजाना पर हाड़-तोड़ काम कर रहे ठेकेदारों के बारह हजारों स्त्री-पुरुष मजदूरों ने 1977 में इन्टक और एटक यूनियनों के सयुक्त नेतृत्व में बोनस के लिये हड़ताल की। संघर्ष को ताकत पकड़ते देख इन्टक एटक नेतृत्व ने यह कह कर हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी कि बोनस परमानेन्ट मजदूरों के लिये ही होता है, ठेकेदारों के मजदूरों का बोनस का हक नहीं बनता। इस पर हड़ताली मजदूरों ने इन्टक-एटक लीडरों को भगा दिया तथा अपने बीच से संघर्ष समिति बना कर हड़ताल जारी रखी। और फिर, नक्सलवादी होने के आरोप में इमरजैन्सी में जेल में बन्द रहने के बाद जेल से छूट कर आये शंकर गुहा नियोगी को मजदूरों ने हड़ताल का नेतृत्व सौंपा। हड़ताल जमगई।

1977 की उस हड़ताल को तोड़ने के एक प्रयास में जनता पार्टी सरकार छापामार कर्रवाई द्वारा मजदूरों के बीच से शंकर गुहा नियोगी को गिरफ्तार कर ले जाने में तो सफल हुई पर पुलिस का एक दल दस हजार मजदूरों के घेरे को तोड़ नहीं पाया। पुलिस दलको छुड़ाने के नाम पर बड़ी तादाद में एकत्र हुई पुलिस फोर्स ने दिन-दहाड़े गोलीबारी करके ग्यारह स्त्री-पुरुष मजदूरों को मारडाला। इन हत्याओं के बाद नंगे दमन का दौर और भी चला पर हड़ताली मजदूर टस से मस नहीं हुये। चार महिने चली उस हड़ताल ने सरकार को झुकने को मजबूर किया और भिलाई स्टील मैनेजमेन्ट ने ठेकेदारों के हड़ताली मजदूरों ने समझौता किया। इस प्रकार छत्तीसगढ माइन्स श्रमिक संघ की ठोस बुनियाद पड़ी और शंकर गुहा नियोगी उसकी धुरी बन कर उभरे।

अमरीकी और रूसी पूँजीवादी गिरोहों के बीच भारत में दाँव-पेच की लड़ाई में 1977 से भिलाई स्टील की दल्ली राजहरा स्थित लोहा खदानों में घटनायें और शंकर गुहा नियोगी भी महत्वपूर्ण बने—सी पी आई वालों ने तो नियोगी को सी आई ए एजेन्ट करार दिया। उदारवादी पूँजीवादियों व देशभक्त टटपूँजियों को नियोगी का निजी जीवन और उनके सुधारवादी दाँव-पेच रोमांचित करने लगे। नक्सलवादी लेबल वाली राज्य-पूँजीवादी धाराओं के लिये नियोगी ऐसी गले की हड्डी बने जिसे न तो वे निगल सकी और न ही उगल सकी। मध्य प्रदेश में काँग्रेस पार्टी के गुटों के बीच उठा-पटक में तथाक्षेत्रीय पूँजीवादी चुनावी राजनीति में एक दूसरे को इस्तेमाल करने के फेर में नियोगी हिस्सेदार बने। हाल के चुनाव में इन्दिरा मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और कांकेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अरविन्द नेताम का भी तथा भोपाल से जनता दल के उम्मीदवार स्वामी अग्निवेश का भी नियोगी ने खुला समर्थन किया... ... ...

लेकिन हमारे विचार से महत्व की बात यह रही है कि नियोगी ने भिलाई क्षेत्र में मजदूर संघर्षों के एक सिल–सिले को आरम्भ करने में केन्द्रिय भूमिका निभाई है।

दल्ली राजहरा लोहा खदानों में ठेकेदारों के मजदूरों को 1977 में पाँच रुपये रोज के स्थान पर अब अस्सी रुपये रोज के मिलते हैं। काम नहीं होने पर वापसी पर पहले जहाँ कुछ नहीं मिलता था वहाँ 1977 से स्टैन्ड बाई वेतन मिलता है। मकेनाइजेशन द्वारा बड़े पैमाने पर छटनी की मैनेजमेन्ट की स्कीम की धार को कुन्द करने में यह मजदूर सफल हुये हैं। हालाँकि परमानेन्ट तो कम लोग हो ही पाये हैं फिर भी ठेकेदारों के मजदूरों के लिये ग्रेच्युटी (सर्विस), साल में 7 कजुअल और 5 त्यौहारी छुट्टियाँ तथा नौकरी की कुछ सुरक्षा हासिल करने में यह मजदूर सफल हुये हैं। मजदूरों को इन सब के लिये लम्बे व कठिन संघर्ष करने पड़े हैं। नौकरी की सुरक्षा के 1981 में मैकेनाइजेशन के खिलाफ संघर्ष नियोगी और सहदेव साहु की गिरफ्तारी पर हड़ताल में बदल गया था-लम्बी चली हड़ताल में दल्ली राजहरा में हड़ताली मजदूरों के हर जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और हड़तालियों ने दुर्ग जिला मुख्यालय पर हर रोज जलूस निकाले।

फिर भी, समय के साथ बढते मैकेनाइजेश और नई भरती पर रोक आदि के कारण मजदूरों की घटती संख्या से दल्ली राजहरा में ठेकेदारों के मजदूरों की ताकत कम होने लगी थी। ऐसे में भिलाई स्टील प्लान्ट के इर्द-गिर्द की फैक्ट्रियों में मजदूर आन्दोलन को उभारने के लिये वहाँ दो-तीन साल से काम तेज करने में नियोगी ने उल्लेखनीय योगदान दिया। एसी सी सीमेन्ट फैक्ट्री में मार्च 90 में आरम्भ हुये ठेकेदारों के मजदूरों के संघर्ष को जुलाई 90 में मिली सफलता नियोगी के संगठन की इस एरिया में पहली कामयाबी थी। एसी सी मैनेजमेन्ट के साथ हुये समझौते के अनुसार ठेकेदारों के मजदूरों को महीने में 20 दिन काम की गारन्टी, प्रोविडैन्ट फन्ड, अर्नड व कैजुअल छुट्टियाँ, इलाज का तथा बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध मैनेजमेन्ट द्वारा। भिलाइ इन्डस्ट्रीयल एरिया के मजदूरों पर इस एग्रामेन्ट का तत्काल असर पड़ा। एरिया की 105 फैक्ट्रियों में काम करने वाले एक लाख मजदूरों में बहुत कम लोग परमानेन्ट हैं। ठेकेदारी-प्रथा आम है पूँजीवादी कानूनों का भी मैनेजमेन्टें पालन नहीं करतीं। अधिकतर कारखानों में दो केन्द्रिय यूनियनों से जुड़ी मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं पर वे मजदूरों के हितों को देखने की बजाय मैनेजमेन्टों की सेवा करती हैं। एसी सी में मिली सफलता से उत्साहित हो कर दसियों हजार मजदूर नये सिरे से संगठित होने लगे। वेतन बढाने, कार्य-स्थल की स्थितियाँ सुधारने तथा 2o प्रतिशत बोनस की माँगों के इर्द-गिर्द भिलाई इन्डस्ट्रीयल एरिया में मजदूर आन्दोलन उमड़ने-घुमड़ने लगा। माहौल को बदलने के लिये, ठन्डा करने के लिये सरकार ने भिलाइ 2 अक्टुबर 90 को नियोगी के संगठन की आम सभा पर रोक लगा दी थी।

मैनेजमेन्टों की एकजुटता, चौकसी और खुली गुन्डागर्दी के बावजूद भिलाई इन्डस्ट्रीयल एरिया के सबसे

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, सगठन और सघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

बड़े उद्योग समूह, सिम्पलेक्स के चार कारखानों में नियोगी के संगठन की अगुआई में हड़ताल शुरु हो गई। दल्लों, गुन्डों, झूठे केसों, पुलिस द्वारा आठ सौ मजदूरों की गिरफ्तारी आदि से जब बात नहीं बनी तब सरकार ने 4 फरवरी 91 को शंकर गुहा नियोगी को बरसों पुराने केसों में गिरफ्तार कर लिया था। दो महीने बाद ही वह जमानत पर छूट पाये। उधर मजदूर आन्दोलन फैलता व मजबूती पकड़ता गया। 25 जून को छत्तीसगढ डिस्टीलरीज मजदूरों के जलूस पर पुलिस ने लाठियाँ व गोलियाँ चलाई— 150 मजदूर घायल हुये, 107 गिरफ्तार किये गये। इस हमले के विरोध में एरिया की एक सौ फैक्ट्रियों में हड़ताल हुई और दल्ली राजहरा आदि स्थानों पर जलूस निकले। मजदूरों को काबू में नहीं आते देख सरकार ने शंकर गुहा नियोगी को बिलासपुर-रायपुर-दुर्ग-राजनान्दगाँव-बस्तर जिलों से जिला बदर की कार्यवाही आरम्भ की— हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। सितम्बर के आरम्भ में नियोगी की अगुआई में सैकड़ों मजदूरों ने राजधानी दिल्ली पहुँच कर कई जगह दस्तक दी।

भिलाई इन्डस्ट्रीयल एरिया में साल-भर से जारी संघर्ष को जीवन्त बनाये रखने में वहाँ से अस्सी किलोमीटर दूर स्थित दल्ली राजहरा खदान मजदूरों की मदद महत्वपुर्ण भूमिका निभा रही है। 1977 में पुलिस गोलीबारी में मारे गये मजदूरों की याद में खदान मजदूरों द्वारा बनाये व चलाये जा रहे शहीद अस्पताल में गुन्डो के चाकुओं छुरों और पुलिस की लाठियों से घायल भिलाई इन्डस्ट्रीयल एरिया के मजदूरों का इलाज किया जाता है हफ्ते में एक दिन चिकित्सा के लिये शहीद अस्पताल के डाक्टर हड़ताली मजदूरों की बस्तियों में जाते हैं। जमानत-केस आदि की देखभाल तो की ही जाती है, हड़ताली मजदूरों को चावल-दाल-खर्चा भी नियोगी का संगठन देता है। दस महीनों से जहाँ हड़ताल चल रही है उस फैक्ट्री के एक मजदूर के शब्दों में, "यह एक विचित्र संगठन है।"

संक्षेप में यह है वह हालात जिनमें मजदूरों पर नियन्त्रण स्थापित करने में बार-बार असफल हो रहे किसी पूँजीबादी गिरोह ने नियोगी की हत्या का फैसला किया।

वर्तमान माहौल में शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व वाले मजदूर आन्दोलन की कुछ कमजोरियों पर एक निगाह डालना उचित होगा। दल्ली राजहरा खदानों में काम कर रहे परमानेन्ट मजदूरों के महत्व को तो अनदेखा किया ही गया, भिलाई स्टील प्लान्ट के परमानेन्ट मजदूरों के महत्व को भी नजरअन्दाज किया गया-नियोगी का "सिधान्त" इसके लिये काफी हद तक जिम्मेदार है। किसी समय दाँव-पेच महत्वपूर्ण हो सकते है पर इसके लिये अन्धी एकता को वैसी ही बनाये रखना व्यक्ति-विशेष केमहत्व को अत्यधिक बढा देता है—क्षेत्र में ऐसी स्थिति के लिये नियोगी की कार्यशैली काफी हद तक जिम्मेदार है। १६८१ में नियोगी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाषण देने पर भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगाने वाले मजदूर, जनता दल की जय-जयकार करने वाले मजदूर, कांग्रेस उम्मीदवार के लिये वोट मागने वाले मजदूर, मोहनदास करमचन्द गाँधी की जय-जय कार करने वाले मजदूर..... कान्तिकारी मजदूर आन्दोलन के विकास में अधिक योगदान नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति वाले मजदूर पूँजीवादी गिरोहों की पैंतरेबाजी में मोहरे आसानी से बनाये जा सकते हैं। छत्तीसगढ माइन्स श्रमिक संघ आज भी कम-बेशी उसी स्थिति में है जिसमें वह १६८१ में नियोगी की गिरफ्तारी के समय था- उस समय के एक हड़ताली मजदूर के शब्द, "शंकर गुहा नियोगी हमारी आँखें है, नियोगी के बिना हम अन्धे हैं", एक तथ्यपरक बयान थे/है।

कुछ समय से चौराहे पर खड़े भिलाई-दल्ली राजहरा के मजदूर आन्दोलन में सक्रिय लोगों के सम्मुख निर्णायक घड़ी आगई है। उदारवादी पूँजीवादी दलदल अथवा मिलिटेन्ट राज्य-पूँजीवादी भंवर अथवा क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन: इनमें से एक चुनने का समय आगया है

नियोगी की हत्या ने मसले को अरजेन्ट बना दिया है। इसलिये इस दुखद माहौल में भी हम मजदूर आन्दोलन-क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन-कम्युनिष्ट आन्दोलन की राह पर बढने के इच्छुक लोगों से विचार-विमर्श की अपील करते हैं।

तालाबन्दी और उसका जवाब

इन दस साल में फरीदाबाद स्थित जिन फैक्ट्रियों में तालाबन्दियाँ हुई हैं उन में से कुछ के नामों पर एक निगाह डालिये: खेतान ईलेक्ट्रिकल्स, के जी खोसला कम्प्रेसर, केल्बिनेटर, जे एम ए, फ्रिक इंडिया फ्रोल्हीन, ढाँढा इजिनियरिंग, डी. डी. फोरजिंग, भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील, फोर्ड, एलसन काटग, आसबाल स्टील, ब्रेक लाईनिंग, प्रेस्टोलाइट, राजवंश, डेल्टा टूल्स, ऊषा स्पिनिंग, आटोपिन, सोबरिन निटवर्क्स, कास्ट मास्टर, ऊषा टेलेहोइस्ट, सहगल पेपर्स, यूनिवर्सल स्टील, भारत कारपेट्स, कोहीनूर पेन्ट्स, राजेन्द्रा पेपर मिल, थामसन प्रेस, हितकारी पाटरीज, एमेटीप मशीन टूल्स, नोरदरन इडिया स्टील, डाबड़ीवाला स्टील, राधिक वूलन, बंगाल मूटिंग, महिन्द्रा स्टीलर, यूनिवर्सल इजिनियरिंग, हिन्दुस्तान वायर......

स्पष्ट है कि तालाबन्दी और उसका जवाब फैक्ट्री मजदूरों के सम्मुख आज एक बड़ा मुद्दा है।

अपने रोजमर्रा के हितों के लिये ट्रेड की बजाय फैक्ट्री के आधार पर संगठित होना और संघर्ष करना साठ सत्तर साल से मजदूर आन्दोलन में प्रचलित है। फैक्ट्री में हड़ताल करना मजदूरों का एक शक्तिशाली हथियार रहा है। लेकिन ... . कुछ समय से देखने में आरहा है कि फैक्ट्री का चक्का जाम कर देना अब मजदूरों का कोई ज्यादा धारदार हथियार नहीं रहा है। उल्टे, मैनेजमेन्टें तालाबन्दियां करके मजदूरों दबाने में सफल हो रही हैं। मैनेजमेन्टों द्वारा फैक्ट्री बन्द करने की धमकी देना अब आम बात हो गई है। इस उल्ट-फेर को समझना और हालात से निपटने के उपायों पर विचार करना जरूरी है।

हमारे विचार से इस मामले की जड़ में है मालिकाने में आया परिवर्तन। निजी के स्थान पर जवाइन्ट स्टाक-लिमिटेड, पूँजीपतियों के स्थान पर मेनेजमेन्टों के रूप में पूँजी के नुमाइन्दों की शुरुआत पिछली सदी के आखिरी दौर में हुई थी। दुनिया-भर में फैलने में इसे समय लगा। पूँजीवादी-पक्ष तथा मजदूर-पक्ष, दोनों को ही नई हालात के मुताबिक संगठन व संघर्ष के रूप तय करने में और भी अधिक समय लगा है- मजदूर वर्ग ने तो अभी यह काम हाथ में लेना आरम्भ ही किया है। इसी लिये कुछ समय से ही हम यहाँ हड़ताल बनाम तालाबन्दी को एक प्रमुख मुद्दा बना पाते हैं।

इस सम्बन्ध में फरवरी 1989 के अक में हमने कहा था: "पूँजीवाद के शुरु के दौर में फैक्ट्री इस या उस मालिक की होती थी। फैक्ट्री में इस या उस आदमी के पैसे लगे होते थे। प्रोडक्शन बन्द होने का मतलब था फैक्ट्री मालिक को नुकसान होना। जितना ज्यादा समय काम बन्द रहता उतना ही अधिक मालिक को नुकसान होता था। इसलिये हड़ताल मजदूरों के हाथ में एक पैना हथियार थी। और मजदूर हड़ताल को जितनी लम्बी खींचते उतनी ही उनकी ताकत बढती जाती थी। हड़ताल से मालिक का भट्टा बैठाया जा सकता था इसलिये हड़ताल या उसकी धमकी के सामने मालिक को मजदूरों से लेदेकर समझौता करना पड़ता था-या फिर गुन्डागर्दी से हड़ताल तोड़नी पड़ती थी।

"आज आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों में जिन लोगों की मैनेजमेन्ट में चलती है, उनका उसमें दो-चार परसैन्ट से अधिक पैसा नहीं लगा होता। इसलिये उस फैक्ट्री में हड़ताल से मैनेजमेन्ट में कर्त्ता-धर्त्ताओं को डायरेक्ट नुकसान ज्यादा नहीं होता।... ...

"इन हालात में मजदूरों के पुराने तरीके से हड़ताल करने के हथियार की धार कम हो गई है।...

"इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी समझनी जरूरी है। कोई फैक्ट्री कितना मुनाफे या घाटे में रहेगी यह तय करने की ताकत किसी फैक्ट्री की मैनेजमेण्ट के हाथों में अब बहुत कम है। बिजली, तेल, ढुलाई व कच्चे और तैयार माल के भावों को तय करने से लेकर टैक्सों के डन्डे के जरिये आज सरकारें तय करती हैं कि कहाँ कितना लाभ या हानि होगी।......"

हड़ताल बनाम तालाबन्दी वाले उल्ट-फेर का आधार यह है। इन परिस्थितियों में किसी फैक्ट्री की मैनेजमेन्ट जब मजदूरों पर नियन्त्रण बनाये रखने में दिक्कत महसूस करती है तब वह तालाबन्दी की तलवार का इस्तेमाल करती है। छंटनी, वर्क लोड में बृद्धि, सुविधाओं में कटौती वाले सामान्य पूँजीवादी हित में मजदूरों पर हमले के समय मैनेजमेन्ट-लेबर डिपार्टमेन्ट - पुलिस-प्रशासन-सरकार वाला पूँजीवादी धड़ा आमतौर पर एक हो कर काम करता है।

इसलिये कोर्ट-कचहरी वाली भाग-दौड़, साहबों मंत्रियों को अर्जियाँ और फैक्ट्री गेट पर धूनी रमाना-ताश खेलना तालाबन्दी का कारगर जवाब नहीं है। एक फैक्ट्री के मजदूरों की एकता और लम्बे समय तक उनका डटे रहना भी तालाबन्दी की सही काट नहीं है। बिचौलियों पर आस तो तालाबन्दी हो चाहे और कोई मामला, है ही मजदूरों की बरबादी की राह।

"मैनेजमेन्टों के तालाबन्दी के हथियार की काट के लिये मजदूरों द्वारा वे कदम उठाने जरूरी हैं जिनके जरिये लाकआउट फैक्ट्री के मजदूर अपने साथ अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को जोड़ सकें। मजदूरों की बड़ी तादाद मे ही वह ताकत है कि पूँजीवादी तन्त्र के नाजुक अंगों पर चोट करके पूँजीवादी मोर्चे में दरार डाली जासकती है और लाकआउट करने वाली मैनेजमेन्ट को पीछे हटने को बाध्य किया जा सकता है। कानपुर की दस कपड़ा मिलों के पैंतीस हजार मजदूरों और उनके परिवारों व सहयोगियों ने फरवरी 89 में पाँच दिन रेलवे लाइन जाम करके कपड़ा मिल मैनेजमेन्टों के एक बड़े हमले को फेल कर दिया था।" (जुलाई 91 अंक)

अत: किसी फैक्ट्री में तालाबन्दी की स्थिति में उस फैक्ट्री के मजदूरों को:-

1. सब सिफ्टों के मजदूरों को हर रोज फैक्ट्री गेट पर अथवा अन्य किसी स्थान पर एक समय पर एकत्र होना चाहिये।
2. तालाबन्दी के खिलाफ पहले दिन से ही हर रोज जलूस निकालने चाहिये।
3. पाँच-सात रोज लगातार जलूस के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ जलूस निकालना चाहिये। अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को जलूसों में शामिल करने की कोशिशें करनी चाहिये।
4. पर्याप्त ताकत एकत्र होने के पश्चात - जलूसों में यह दीखने लगेगी पूँजीवादी तन्त्र के नाजुक अंगों (रेलवे, रोड, डी सी-एस पी दफ्तर) को जाम करने जैसे कदम उठाने चाहिये।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबा